सं०सं०–1/प्र0नर्स–02/2018– 651(1)90

## बिहार सरकार
## स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

**राधेश्याम साह,**
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

**अधीक्षक,**
नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना,
प्रभावती अस्पताल, गया।

पटना, दिनांक– 6/11/2018

**विषयः–** **प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड–20–2210051050012 अंतर्गत नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना एवं प्रभावती अस्पताल, गया को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में वित्तीय वर्ष 2018–19 में वेतन एवं भत्ते तथा अन्य मदों में कुल रू0 69,39,000/–(रुपये उन्हतर लाख उन्चालिस हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के पत्रांक–3784, दिनांक–18.09.2018 एवं प्रभावती अस्पताल, गया के पत्रांक–122, दिनांक–27.09.2018 के आलोक में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड–20–2210051050012 अंतर्गत नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना एवं प्रभावती अस्पताल, गया को वेतन एवं भत्ते तथा अन्य मदों में कुल रु0 69,39,000/–(रुपये उन्हतर लाख उन्चालिस हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन निम्नरुपेण दी जाती है–

| प्राथमिक ईकाई | संयुक्त बजट उपबंध | पूर्व का संयुक्त कुल आवंटन | नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को वर्तमान आवंटन | प्रभावती अस्पताल, गया को वर्तमान आवंटन | वर्तमान संयुक्त आवंटन | कुल संयुक्त आवंटन | शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0012.01.01 वेतन | 57000000 | 42750000 | 0 | 3400000 | 3400000 | 46150000 | 10850000 |
| 0012.01.03 जीवन यापन भत्ता | 5700000 | 4275000 | 0 | 400000 | 400000 | 4675000 | 1025000 |
| 0012.01.04 मकान किराया भत्ता | 9046000 | 6584500 | 0 | 150000 | 150000 | 6734500 | 2311500 |
| 0012.01.05 परिवहन भत्ता | 1470000 | 1102500 | 0 | 40000 | 40000 | 1142500 | 327500 |
| 0012.01.06 चिकित्सा भत्ता | 300000 | 225000 | 0 | 10000 | 10000 | 235000 | 65000 |
| 0012.01.07 अन्य भत्ता | 135000 | 101250 | 0 | 3000 | 3000 | 104250 | 30750 |
| योग– वेतन एवं भत्ते | **73651000** | **55038250** | **0** | **4003000** | **4003000** | **59041250** | **14609750** |
| 0012.13.01 कार्यालय व्यय | 2500000 | 1950000 | 70000 | 0 | 70000 | 2020000 | 480000 |
| 0012.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ | 5000000 | 1900000 | 300000 | 0 | 300000 | 2200000 | 2800000 |
| 0012.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा | 40000000 | 32000000 | 2566000 | 0 | 2566000 | 34566000 | 5434000 |
| कुल योग– | **121151000** | **90888250** | **2936000** | **4003000** | **6939000** | **97827250** | **23323750** |

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक–17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक–06.05.06, 96/वि0(2) दिनांक–09.01.08 सह–पठित संकल्प संख्या–2190/वि0(2), दिनांक–17.03.08, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08 एवं 3388/वि०(2) दिनांक–18.04.2011 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

क्रमशः

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना एवं अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0012–प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड–20–2210051050012 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

7. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

9. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जाएगी।

10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 6.11.18

**(राधेश्याम साह)**
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/प्र0नर्स–02/2018– 65(1)90 /स्वा0, पटना, दिनांक– 6 / 11 /2018

**प्रतिलिपिः**– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 6.11.18

सरकार के विशेष सचिव